फतेहगढ़ पुलिस

वाहन चलाते समय मोबाइल पर न करें बात

गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल में यातायात नियम जागरूकता अभियान चलाया

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। हेलमेट लगाकर दोपहिया व सीट बेल्ट लगाकर ही कर कार चलाने के लिए परिवार के लोगों को जागरूक करने का पाठ बच्चों को पढ़ाया गया।

शहर के लालगेट से कादरी गेट रोड स्थित गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल में सोमवार को यातायात माह पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात के दरोगा बन्ने खां ने स्कूल में मौजूद छात्र-छात्राओं को बताया कि तेज रफ्तार में बाइक व कार को नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर वाहन चलाने से आए दिन लोग हादसे में अपनी जान गवां देते हैं। उनकी गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है।

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से कई बार लोग दुर्घटना होने के बाद भी सुरक्षित बच जाते हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की वह घर जाकर परिजनों व पड़ोसियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करें। स्कूल के प्रधानाचार्य एनडी प्रसाद व शिक्षक मौजूद रहे।

गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते दरोगा। संवाद

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

मीडिया सेल

जेल में पथराव व लूट के 11 आरोपियों को जेल भेजा

साथी की मौत पर आगजनी कर बंदियों ने किया था पथराव

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। पिछले वर्ष जिला जेल में आगजनी, पथराव व लूटपाट करने के आरोप में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी घटना के दौरान जेल में बंद थे।

मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव बिराहिमपुर निवासी संदीप यादव दहेज हत्या में आजीवन कारावास में जिला जेल में बंद था। बीमारी से बंदी संदीप की छह नवंबर 2021 को सैफई में मौत हो गई थी। साथी बंदियों ने सात नवंबर इलाज की लापरवाही का आरोप लगाकर जेल में आगजनी कर पथराव किया था।

इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। इसमें राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जैनापुर निवासी बंदी शिवम की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद बंदियों ने अस्पताल व बैरक में आग लगाकर उपद्रव किया था।

डिप्टी जेलर शैलेश सोनकर सहित कई बंदी रक्षकों पर जानलेवा कर मारपीट की थी। इस मामले में जेलर अखिलेश कुमार ने बंदियों के खिलाफ लूटपाट, आगजनी, सरकारी कार्य में बाधा व जानलेवा हमला सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना के लिए सीओ कायमगंज सोहराब आलम की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया था।

पुलिस गिरफ्त में जेल में पथराव व लूट के आरोपी। संवाद

पुलिस ने कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर निवासी तत्कालीन बंदी सुग्रीव, मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नदीरा निवासी प्रद्युम्न, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कूचा गंगा दरवाजा निवासी सुमित, जनपद कासगंज थाना पटियाली के गांव मोहन नगला निवासी रापेंद्र यादव, जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर के गांव इस्माइलपुर तकियां खेड़ा निवासी गुड्डू, शहर कोतवाली के गांव चांदपुर निवासी सनी, को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बढ़पुर किसान नगला निवासी यतेंद्र बहादुर, मोहल्ला बंगशपुरा कोहना निवासी आसिफ उर्फ पट्टा, गांव हैवतपुर गढ़िया निवासी शिवम उर्फ छुआरा, लालदरवाजा निवासी हरीकश्यप, कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर निवासी अंकित यादव को पुलिस की अलग-अलग टीमों ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की काफी समय से तलाश की जा रही थी। सटीक सूचना पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के लिए आगे रिमांड भी लिया जा सकता है।

फतेहगढ़ पुलिस

पुलिस के हाथ लगे दो शातिर टप्पेबाज

सराफ के साथ की थी घटना, रुपये और असलहा भी आरोपियों से पुलिस ने किए बरामद

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे टप्पेबाजों के फुटेज

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। सराफ से पांच लाख की टप्पेबाजी में अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिरों को एसओजी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके दो साथियों को पुलिस तलाश कर रही है।

गिरोह के सदस्य पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए टप्पेबाजों से 1.12 लाख रुपये व तमंचा आदि बरामद हुआ है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नीबाचुअत निवासी जितेंद्र कुमार की मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबकरोरी में सराफा की दुकान है। उनके पास में ही भाई सुधीर की खाद की दुकान है। 18 अक्तूबर की सुबह जितेंद्र व सुधीर कार से दुकान जा रहे थे। फतेहगढ़ नेकपुर कलां में बाइक एजेंसी के पास बाइक सवार टप्पेबाजों ने जितेंद्र व सुधीर को झांसा देकर कार के अंदर से पांच लाख के जेवरात व नकदी से भरे तीन बैग पार कर दिए थे।

पुलिस ने जितेंद्र की तहरीर पर अज्ञात टप्पेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसपी अशोक कुमार मीणा ने खुलासे के लिए एसओजी प्रभारी अशोक कुमार, सर्विलांस प्रभारी जगदीश भाटी व कोतवाल सचिन कुमार सिंह की टीमों को लगाया था। मुख्या बाजार में दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में टप्पेबाजों के फुटेज कैद हो गए थे।

सर्विलांस से घटना स्थल पर रेंज में आए मोबाइल नंबर से दिल्ली के टप्पेबाजों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने नई दिल्ली थाना आंबेडकर नगर के मोहल्ला मदनगिर निवासी नरेश व इंद्र कुमार उर्फ दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। मदनगिर निवासी आकाश व रोहित भी घटना में शामिल थे। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है।

सोमवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी अशोक कुमार मीणा ने घटना का खुलासा किया। बताया कि पकड़े गए आरोपीशातिर टप्पेबाज हैं। इनके आपराधिक इतिहास की और जानकार की जा रह है। फरार साथियों की तलाश में भी टीमें बनाकर दबिश दी जाएगी। माले में कुछ और पीड़ित भी सामने आ सकते हैं। इससे आरोपियों पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। इस दौरान एएसपी अजय प्रताप व सीओ सिटी प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे।

पुलिस गिरफ्त में टप्पेबाजी के आरोपी। संवाद

दिलीप के खिलाफ दर्ज हैं 24 मुकदमे

टप्पेबाजी के आरोप में पकड़े गए इंद्र कुमार उर्फ दिलीप के खिलाफ दिल्ली, फतेहगढ़ में चोरी, लूट, टप्पेबाजी व अवैध शस्त्र के 24 मुकदमें दर्ज हैं। नरेश के खिलाफ कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर व दिल्ली में चोरी, टप्पेबाजी व जानलेवा हमले के 16 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य जनपदों में आरोपियों के बारे में सूचना भेजकर आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

मीडिया सेल